

# पूर्व मध्य रेल

कार्यालय  
मंडल रेल प्रबंधक (कार्मिक)  
समस्तीपुर

सं०-ई/V/कार्मिक/प्रशासन/Covid-19/2020-1, दिनांक - 28.03.2020

सभी शाखाधिकारी एवं अति० मंडलाधिकारी,  
पूर्व मध्य रेल/समस्तीपुर मंडल

विषय :- लॉक डाउन अवधि में आवश्यक सेवाएँ में रोस्टर पर कार्यरत दिव्यांग कर्मचारियों को कार्यमुक्त रखने के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- रेलवे बोर्ड का पत्रांक-2020/E(LL)/HER/3,  
दिनांक-27.03.2020

संदर्भित पत्र द्वारा Covid-19 महामारी के फैलने की सम्भावनाओं एवं लॉक डाउन अवधि में Rights of Persons with Disabilities Act,2016 के अन्तर्गत आनेवाले ऐसे दिव्यांग कर्मचारी जो आवश्यक सेवाओं में रोस्टर पर कार्यरत हैं के सुरक्षा को ध्यान में रखते हेतु उन्हें कार्यमुक्त रखने का निर्देश दिया गया है। कृपया उक्त निर्देश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करावें।

सुलभ संदर्भ हेतु पत्र की प्रति संलग्न है।

संलग्नक - यथोपरि।

(मनोज कुमार चौधरी)  
सहायक कार्मिक अधिकारी  
कृते मंडल रेल प्रबंधक(कार्मिक)  
समस्तीपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. निजी सचिव-1 को मरेप्र/सम० के सादर सूचनार्थ हेतु।
2. गोपनीय आशुलिपिक को अमरेप्र/सम० के सादर सूचनार्थ हेतु।
3. महासचिव/नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइन्ड, बिहार शाखा
4. मंडल मंत्री/ईसीआरकेयू, अजा एव अजजा एस० तथा ओबीसी एस०/सम०

कृते मंडल रेल प्रबंधक(कार्मिक)  
समस्तीपुर